संख्या- 80/2022/765/001-23-9-2022-15नाबार्ड-ओ0डी0आर0-2018

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ:दिनांक 08 अगस्त, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के 11 चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 11 चालू कार्यो हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-10 के अनुसार कुल रू0 26,79,97,000/- (रूपये छब्बीस करोड़ उन्यासी लाख सत्तानबे हजार मात्र) की व्यपगत धनराशि /शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्रम सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक आवंटित धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	533/CE-HQ1/RIDF25/MRT/2022-23 Dt-26-07-2022	गाजियाबाद	रा0मा0-58 मोदीनगर से बेगमाबाद-सौंदा-डिडौली-काकड़ा-सलेमाबाद-झाल-रेवड़ी-रेवड़ा मार्ग(अ0जि0मा0)के कि0मी0 7 से 18 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	36/2020/95/23-9-2020-01नाबार्ड (ओडीआर)/2019, दि0 24.02.2020	2277.3	2080.65	13.68	182.97	182.97
2	533/CE-HQ1/RIDF25/MRT/2022-23 Dt-26-07-2022	बुलन्दशहर	पहासू शिकारपुर मार्ग(अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	85/2020/426/23-9-2020-11नाबार्ड (ओडीआर)/2020, दि0 27.03.2020	2740.11	2364.01	217.07	159.03	22.02
3	534/CE-HQ1/RIDF25/VNS/2022-23 Dt-26-07-	जौनपुर	कुत्तुपुर तिराहे से कोठवार जंगीपर राजेपुंर इटौरा क्या अ0जि0मा0 का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य।	75/2020/426/23-9-2020-11नाबार्ड /(ओडीआर)2020, दि0 27.03.2020	1644.01	1101.47	7.79	534.75	411.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक आवंटित धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2022								
4	536/CE-HQ1/RIDF25/MIR/2022-23 Dt-26-07-2022	मिर्जापुर	पडरी छीतमपुर शक्तेशगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	75/2020/426/23-9-2020-11नाबार्ड /(ओडीआर)2020, दि0 27.03.2020	2169.81	1710.79	1.60	457.42	348.92
5	537/CE-HQ1/RIDF26/PRJ/2022-23 Dt-26-07-2022	कौशाम्बी	दारानगर से शहजादपुर गंगा सेतु के पहुँच मार्ग तकटेंढ़ी) मोड़ से शहजादपुर का शेष (भाग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	45/2021/118/23-9-2021-12नाबार्ड /(ओडीआर)2020 दि0 25.02.2021	669.82	391.99	2.92	274.91	207.92
6	537/CE-HQ1/RIDF26/PRJ/2022-23 Dt-26-07-2022	कौशाम्बी	सिराथू कालाकांकर मार्ग के अवशेष भाग अ)0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	45/2021/118/23-9-2021-12नाबार्ड /(ओडीआर)2020 दि0 25.02.2021	753.17	480.03	92.57	180.57	105.25
7	538/CE-HQ1/RIDF26/VNS/2022-23 Dt-26-07-2022	जौनपुर	ब्लाक मुख्यालय रामनगर को दो लेन मार्ग से जोड़े जाने हेतु चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	45/2021/118/23-9-2021-12नाबार्ड /(ओडीआर)2020 दि0 25.02.2021	2333.31	242.48	29.87	2060.96	200.00
8	535/CE-HQ1/RIDF25/ALI/2022-23 Dt- 26-07-2022	हाथरस	हाथरस इगलास मागर्ग् का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	36/2020/95/23-9-2020-01नाबार्ड (ओ0डी0आर0)/2019	1334.81	1026.70	205.42	102.69	102.69
9	692/CE-HQ1/RIDF25/MIR/2022-23 Dt-28-07-2022	मिर्जापुर	अदलहाट भूइली शेरवा सिकन्दरपुर मार्ग के कि0मी0 10.00 से 22.84 तक के भाग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य।	75/2020/426/23-23-9-2020-11नाबार्ड(ओडीआर) /2020, दि0 27.03.2020	2481.09	1828.22	6.18	646.69	522.64
10	741/CE-HQ1/RIDF26/ADY/2022-23 Dt-29-07-2022	सुल्तान पुर	लम्भुआ-गोथुआ-अर्जुनपुर जागीपुर(ककराही तकअन्य (जिला मार्ग किमी0-1 से 14 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	45/2021/118/23-9-2021-12नाबार्ड)ओडीआर/(202, दि0 25.02.21	2065.55	1064.48	267.39	733.68	424.56
11	694/CE-HQ1/RIDF26/VNS/2022-23 Dt-28-07-2022	गाजीपुर	जमानियां देवैथा करहमरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किमी 1, 2, 3, 4, 5, 6, (900) (लटियॉ धर्म स्थल महान सम्राट अशोक स्तम्भ(	45/2021/118/23-9-2021-12नाबार्ड)ओडीआर/(202, दि0 25.02.21	652.55	370.62	0.00	281.93	152.00
		योग							**2679.97**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गो को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण्पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्तम्भ-4 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,79,97,000 (रुपये छब्बीस करोड़ उनासी लाख सत्तानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043378300 नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या- 80/2022/765(1)/001-23-9-2022-15नाबार्ड-ओ0डी0आर0-2018 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- संबंधित जिलाधिकारी।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in